

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग

तृतीय तल , इंडियन आयल भवन,
01, श्री अरविन्द मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016

दिनांक-12.08.2021

फा. स. ए - 110013 /09 /2020 /सी. ए. क्यू. एम.- आई. पी.-645-647

बिषय -राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में कार्य कर रही औद्योगिक इकाइयों को पी एन जी /स्वच्छ ईंधन में परिवर्तित करना – राजस्थान ।

1. जबकि ,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एतदपश्चात आयोग के तौर पर सन्दर्भित) का गठन किया ।
2. जबकि ,अध्यादेश 2021 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है कि पहले अध्यादेश 2020 के तहत की गई कार्रवाई को अध्यादेश 2021 के समरूप किया गया समझा जायेगा ।
3. जबकि, अध्यादेश की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं , कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे , निर्देश आदि जारी करें , जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे ।
4. जबकि,अध्यादेश की धारा 12 (2) (XI) आयोग को शक्ति देती है , कि वह लिखित में किसी व्यक्ति , अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है, ऐसा व्यक्ति अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य है ।

5. जबकि, आयोग ने अपना मत व्यक्त किया है कि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ईंधन जैसे कोयला आदि का प्रयोग करने वाले उद्योगों के उत्सर्जन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकवर्ती क्षेत्रों में गंभीर प्रतिकूल परिणाम निकलते हैं ।
6. जबकि ,आयोग ने नोट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में पी. एन. जी . नेटवर्क और आपूर्ति संरचना पहले से ही उपलब्ध है, इसलिए ऐसे उद्योगों को पी. एन. जी. प्रयोग करने के लिए प्रमुखता के आधार पर परिवर्तन किया जाना चाहिए ।
7. जबकि ,पहले के आयोग ने 10 दिसंबर, 2020 के पत्र के तहत सम्बंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वह कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना स्पष्ट रूप से उद्योगों में स्वच्छ ईंधन जैसे पी. एन. जी का प्रयोग करने के लिए परिवर्तन लाए।
8. जबकि, इस मामले में राज्य सरकारों को 28 दिसंबर, 2020 को स्मरण पत्र भेजकर मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा गया था ।
9. जबकि, आयोग ने 20 जनवरी 2021 को आयोजित दूसरी बैठक में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करने के लिए परिवर्तन हेतु मामले पर चर्चा की और उसके अनुसार आयोग के दिनांक 11 फरवरी, 2021 के पत्र के अनुसार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, और राजस्थान राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी किया गया था, इसके साथ उन औद्योगिक क्षेत्रों में जहाँ गैस संरचना/ आपूर्ति उपलब्ध हो वहाँ परिवर्तन के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए और बहुत सी औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है ।
10. जबकि, राज्य सरकारों को पुनः सलाह दी गई थी कि औद्योगिक क्षेत्रों के सम्बन्ध में , जहां पी. एन. जी. गैस की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है, लेकिन कार्य प्रगति पर है, उन उद्योगों को परामर्श दिया जाए कि जैसे ही पी. एन. जी. संरचना/आपूर्ति उपलब्ध हो जाती है, वहाँ परिवर्तन के लिए अग्रिम तैयारी करें।
11. जबकि, सम्बंधित राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर आयोग का मत है कि:-
 - (i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा राज्य के जिलों में अब तक 1469 पहचान की गई इकाइयों में से 408 औद्योगिक इकाइयों में परिवर्तन किया जा चुका है।

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ज़िलों में गैस में बदलाव के लिए पहचान की गई 2273 इकाइयों में से 1161 औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित किया जा चुका है।

(iii) राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ज़िलों में गैस में बदलाव के लिए पहचान की गई 436 इकाइयों में से 124 औद्योगिक इकाइयों में परिवर्तन किया जा चुका है।

12. जबकि, आयोग की 04, जून, 2021 को आयोजित तीसरी बैठक में इन मामलों पर चर्चा की गई और नोट किया कि निम्नलिखित की अति आवश्यकता है:-

(i) जहां भी पी.एन.जी. उपलब्ध हो, वहाँ उद्योगों को पी. एन. जी. में परिवर्तित करें।

(ii) राज्य सरकारों द्वारा एक व्यापक कार्य योजना का विकास किया जाए जिसके अनुसार समय बद्ध ढंग से बचे हुए क्षेत्रों में सभी उद्योगों को स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने के लिए पी. एन. जी. में परिवर्तित करना सुनिश्चित किया जाए।

13. जबकि, इस मामले में आयोग की दिनांक 05, अगस्त 2021 को आयोजित चौथी बैठक में पुनः चर्चा की गयी और निर्णय लिया गया कि अध्यादेश 2021 के सम्बंधित प्रावधानों के तहत सम्बंधित राज्य सरकारों को विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी किया जाए।

14. अब इसलिए, उपरोक्त के मद्देनजर और उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन के प्रयोग के कारण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की अति आवश्यकता के कारण "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अध्यादेश 2021" के तहत गठित आयोग राजस्थान सरकार को निम्नवत निर्देश देता है:-

(i) जो उद्योग पी.एन. जी. आपूर्ति से पहले से जुड़े हुए है उनका लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण करना और सुनिश्चित करना कि उन उद्योगों में कोई अन्य प्रदूषक ईंधन जैसे कोयला आदि का प्रयोग नहीं किया जा रहा है।

(ii) सम्बंधित प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से कठोर निगरानी बनाएं रखें जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गैर-अनुमोदित ईंधन के प्रयोग को रोका जा सकें और दोषी इकाइयों के मामलों में कठोर कार्रवाई की जाए।

(iii) जहाँ भी गैस आपूर्ति के लिए संरचना और गैस की आपूर्ति उपलब्ध है, वहाँ कार्यान्वयन करने योग्य कार्य योजना बनाई जाए जिसमें सभी पहचान की गई औद्योगिक इकाइयों को पी. एन. जी. में निश्चित समय में परिवर्तित किया जाए।

(iv) शेष औद्योगिक, इकाइयों में पी. एन. जी. और आपूर्ति संरचना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर औद्योगिक इकाइयों में गैस की आपूर्ति करने वाली अधिकृत संस्थाओं के परामर्श से एक समयबद्ध विस्तृत कार्य योजना विकसित की जाए।

15. आयोग निर्देश देता है कि निर्देश के उपरोक्त पैरा 14 (i), पैरा 14 (ii) पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट और पैरा 14 (iii) एवं 14(iv) के सन्दर्भ में अनुपालन रिपोर्ट 31, अगस्त, 2021 तक भेजी जाए।

हस्ता०

(अरविन्द नौटियाल)

सदस्य सचिव

दूरभाष सं। 011 -23701197

011-23446819

ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में

मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सरकार सचिवालय, जयपुर - 302005

प्रतिलिपि: -

1. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवेश भवन, सी. बी. डी. एवं कार्यालय परिसर, ईस्ट अर्जुन नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
3. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 04, झलाना सांस्थानिक क्षेत्र, झलाना, डोंगरी, जयपुर, राजस्थान - 302004।